16-12-2014 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।

आरोपी नान्हीबाई सहित व आरोपी अन्नू द्वारा श्री एच०आर०दुबे अधिवक्ता। प्रार्थिया इंदिराबाई स्वतः उपस्थित।

आरोपी अन्नू की ओर से हाजरी माफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

श्री एच0आर0दुबे अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320 एवं 320(2)दं.प्र.सं. का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थिया इंदिराबाई ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रक्ट किया है तथा प्रार्थी/ आहत की पहचान श्री एच0आर0दुबे अधिवक्ता द्वारा की गई।

आरोपीगण के विरूद्ध धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का आरोप है। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध का शमन किये जाने हेतु फरियादी इंदिराबाई सक्षम पक्षकार है। आरोपीगण के विरूद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपित अपराध धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.द.वि. शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी नान्हीबाई एवं अन्तू को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता।

प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक नग पत्थर छोटा है, जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार भेजा जावे।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर